कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
भोपाल संभाग भोपाल

(शेड क्रमांक 1, कमिश्नर कार्यालय के पीछे, पुराना सचिवालय, दूरभाष एवं फैक्स नं–0755 - 2540865)
(E-mail : pswbho@mp.nic.in)
(Tollfree Helpline for Persones with Disabilities : 1800 233 4397)

क्रमांक / 2355 / मु.मं.क.नि.यो / 2017–18 भोपाल, दिनांक 27/05/2017

प्रति,

उपसंचालक
जनसम्पर्क संचालनालय
वाणगंगा भोपाल ।

विषयः– मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजनान्तर्गत आयोजित सामूहिक विवाह मे कन्याओं को दी जाने वाली सामग्री क्रय करने हेतु निविदा।

—0—

भोपाल जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजनान्तर्गत जिले की नगर पालिक निगम / नगर पालिका / जनपद पंचायत स्तर पर वर्ष 2017–18 मे कन्याओं का सामूहिक विवाह / निकाह किया जाना संभावित है। जिसमें उक्त योजनान्तर्गत विवाह के समय कन्याओं को विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री {बिछिया,पायजेब (चांदी के)} सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा) संक्षिप्त विज्ञप्ति पत्र के साथ संलग्न है ।

अनुरोध है कि इस विज्ञप्ति को 3 दैनिक समाचार पत्रो मे प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संयुक्त संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
भोपाल संभाग भोपाल
26/5/2017

कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

भोपाल संभाग भोपाल

//संक्षिप्त निविदा//

कमांक/2356/मु.म.क.नि.यो/2017–18 भोपाल, दिनांक 27/05/2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 मे मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनान्तर्गत आयोजित सामूहिक विवाह मे कन्याओं को दी जाने वाली सामग्री क्रय करने हेतु निविदा।

—0—

भोपाल जिले में वित्तीय वर्ष 2017–18 मे मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना/निकाह योजनान्तर्गत जिले कन्याओं का सामूहिक विवाह/निकाह किया जाना संभावित है। जिसमें उक्त योजनान्तर्गत कन्याओं को विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री जैसे {बिछिया,पायजेब (चांदी के} सामग्री को प्रदाय करने के इच्छुक फर्म्स/एजेंसी/संस्थाओं से मोहर बंद निविदाऐं विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक **12–06–2017** दोपहर 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, प्राप्त सभी निविदाएं **दिनांक 13–06–2017** को अपरान्ह 4:00 बजे समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि निविदाएं खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदाऐं दो पृथक–पृथक लिफाफे मे (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे मे) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, प्रथम लिफाफे के ऊपर तकनीकी निविदा एवं द्वितीय लिफाफे के ऊपर वित्तीय निविदा लिखना अनिवार्य होगा, दोनों निविदा फॉर्म के लिफाफे एक पृथक बडे लिफाफे में सील बंद कर प्रस्तुत की जाना होंगी जिसमे फर्म की रबर की सील अंकित करना अनिवार्य है । बडे लिफाफे के ऊपर "मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना हेतु निविदा" संबंधित फर्म का नाम एवं पता एवं रबर की सील अंकित हो) जमा करना होगी। प्रत्येक सामग्री हेतु निविदा प्रपत्र में तकनीकी प्रस्ताव के साथ अमानत राशि रूपये 25,000–00 (रूपये पच्चीस हजार) (डिमांड ड्राफट/बैंक गारंटी) संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एंव निःशक्तजन कल्याण भोपाल संभाग भोपाल के पक्ष मे संग्लन करना अनिवार्य होगा जो भोपाल स्थित राष्ट्रीयकृत बैंको की शाखा मे भुगतान योग्य हो। निविदा फार्म शुल्क रूपये 1000–00 (रूपये एक हजार) होगा जो वापसी योग्य नही होगा । जिन फर्म/एजेंसी तकनीकी शर्तें पूर्ण करेंगे उनके ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी ।

प्रदाय की जाने वाली सामग्री की सूची, मात्रा/संख्या अन्य विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन की वेवसाईट www.bhopal.nic.in पर देखी व डाउन लोड की जा सकती है, साथ ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय व दिवस मे प्राप्त की जा सकती है।

संयुक्त संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
भोपाल संभाग भोपाल
26/5/2017

कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

भोपाल संभाग भोपाल

फार्म नम्वर ....

दिनांक....................

:: तकनीकी निविदा ::

(प्रथम सीलबंद लिफाफे में रखी जायेगी तथा लिफाफे के ऊपर तकनीकी निविदा लिखा जाये)

1	निविदाकार फर्म एजेंसी का नाम		
2	निविदाकार फर्म/एजेंसी का पूरा पता		
3	फर्म /एजेंसी का दूरभाष कमांक		
4	फर्म /एजेंसी का ई–मेल आईडी		
5	फर्म /एजेंसी का वैद्य रजिस्ट्रेशन नम्वर/ दिनांक (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		
6	फर्म/एजेंसी का टिन नम्वर		
7	फर्म/एजेंसी का पेन नम्वर		
8	फर्म/एजेंसी का पंजीयन कमांक		
9	फर्म/एजेंसी का विगत 3 वर्ष का चार्टेड एकांउटेंट की आडिट रिर्पोट		
	कमांक	वर्ष	वार्षिक टर्नओव्हर
	1	वर्ष 2014–15	
	2	वर्ष 2015–16	
	3	वर्ष 2016–17	
11	प्रतिभूति राशि रूपये 25,000–00 का बैंक ड्राफट/बैंक गारंटी का विवरण		
कमांक	बैंक/शाखा का नाम	बैंक ड्राफट कमांक/बैंक गारंटी कमांक/ दिनांक	

निविदाकार/फर्म का नाम ....

पूर्ण पता ....

फोन नं0..

फर्म्स की रबर सील सहित

कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
भोपाल संभाग भोपाल

फार्म नम्बर ....

दिनांक

:: वित्तीय निविदा ::

(द्वितीय सील बंद लिफाफे में रखी जायेंगी तथा लिफाफे के ऊपर वित्तीय निविदा लिखा जाये)

विषय :— मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह हेतु निविदा विज्ञप्ति के संबंध में।

——0——

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आभूषण की भाव/दरें निम्नानुसार रहेगी।

आभूषण व्यवस्थाः—

क0	सामग्री	संख्या	संस्था द्वारा प्रस्तावित दर (समस्त कर एवं परिवहन सहित)		
			चांदी का 50%	चांदी का 60%	चांदी का 70%
1	पायल (चांदी में) 70 gm एक जोड़ी	1 जोड			
2	पायल (चांदी में) 50 gm एक जोड़ी	1 जोड			
3	बिछुड़ी (चांदी में) 10 gm एक जोड़ी	1 जोड			
4	बिछुड़ी (चांदी में) 5gm एक जोड़ी	1 जोड			

आवेदक का नाम/फर्म्स का नाम ....

पूर्ण पता ....

फोन/मोबाईल ....

फर्म्स की रबर मुद्रा

कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

भोपाल संभाग भोपाल

आभूषण प्रदाय हेतु निर्धारित शर्ते :–

1. निविदा तीन लिफाफा पद्धति में स्वीकार की जावेगी। प्रथम लिफाफा में आर्नेस्टमनी, पेनकार्ड की प्रति, टिन कमांक की प्रति, कर निर्धारण प्रमाण पत्र,वाणिज्यक कर विभाग मे पंजीयन,एवं फर्म का पंजीयन प्रमाण की प्रति एवं दूसरे लिफाफा में निविदा दरे एवं दोनों लिफाफो को तीसरे लिफाफे में मुहरबंद कर निविदा बाक्स में स्वीकार की जावेगी।
2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रपत्र राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित करना आवश्यक होगा।
3. निविदा दरो के स्वीकृत होने पर सेम्पल कार्यालय में देना होगे। उस पर संस्था की सील एवं हस्ताक्षर होना आवश्यक हैं।
4. सामग्री को पेकिंग कर विवाह स्थल में नगरीय निकाय/ग्रामीण निकाय को विवाह आयोजन समय–समय पर चांदी की पायल एवं विछुडी की गुणवत्ता एवं वजन की मात्रा कराकर ही प्रदाय करना होगी जिसके लिए पृथक से कोई भाड़ा आदि देय नहीं होगा। यदि निर्धारित गुणवत्ता एवं वजन की सामग्री नही पाई जाती अथवा कोई शिकायत प्राप्त होती है तो फर्म को भुगतान नही किया जावेगा एवं फर्म के विरूद्व पुलिस कार्यवाही की जावेगी । इसलिये प्रत्येक जोडे को निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित मात्रा के अनुसार ही सामग्री पूर्ण गुणवत्ता अनुसार प्रदाय किया जाना होगा ।

6. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला स्तरीय कय समिति को होगा।
7. किसी भी वाद/प्रतिवाद हेतु भोपाल स्थित न्यायालय क्षेत्राधिकार होगा ।

संयुक्त संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
भोपाल संभाग भोपाल
24/5/2017